न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{07}{06}/\frac{11-12}{2012}$ चन्द्रमणि कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
05.09.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में चन्द्रमणि कुमार पे0 स्व0 बबुजन यादव साकिन+थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{07}{06}/\frac{11-12}{2012}$ चन्द्रमणि कुमार पे0 स्व0 बबुजन यादव साकिन+थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 345 दिनांक 04.06.2011 के बेछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि ग्राम पंचायत अलौली के कुछ स्थानीय नेता अपीलार्थी से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते थे जिसकी भरपाई मजबूरन जब अपीलार्थी नहीं किया तो चन्द स्थानीय अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले नेताओं ने षड्यंत्र वो साजिश कर स्वयं एक आवेदन अपीलार्थी के विरूद्ध तैयार कर उस पर फर्जी अंगूठे का निशान दिलवाकर एवं अपने ही आदमी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक झूठा शिकायत पत्र जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिनांक 26.05.2011 को दिलवाया, जिस पर जांचकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को भेज दिया गया। उनका यह भी कहना है कि जब शिकायत पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया था तो फिर शिकायतकर्त्ता आवेदन दिनांक 26.05.2011 की जांच दिनांक 27.05.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अलौली जाकर किस प्रकार एवं किस पदाधिकारी के आदेशानुसार किया गया तथा अपने पत्रांक 520, दिनांक 27.05.2011 से जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया तथा उसकी प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, खगडिया को भेजा, जो अपने आप में आश्चर्यजनक एवं विरोधाभाषी प्रतीत होता है। और उपर्युक्त वर्णित क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि कथित शिकायतकर्त्ता का आवेदन दिनांक 26.05.2011 के पीछे लगे अलौली पंचायत के नेताओं की मिली भगत से निश्चित रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द करवाया गया। वस्तुतः अपीलार्थी अनुज्ञप्तिधारी ने जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी	

Received for order 15/9/17

निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में सिर्फ अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दूकान के बिक्रेता से कारण पृच्छा पूछने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस वाद में अनुज्ञापन पदाधिकारी ने जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 26.05.2011 के आलोक में न तो निरीक्षी पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की और न ही स्वयं अपने स्तर से अनुज्ञापन पदाधिकारी ने जांच किया। जो स्पष्टतः सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 की धारा 3 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द का आदेश दिनांक 04.06.2011 नियम के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है।

उनके द्वारा अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप सं0 01 एवं 2 के संदर्भ में सूचना पट्ट पर दिनांक 27.05.2011 को दूकान बन्द होने की सूचना एवं भंडार की स्थिति साल्ली से स्पष्ट रूप से सूचना पट्ट पर लिख दिया गया था। लेकिन उस दिन चूँकि सबेरे से काफी तेज वारिश हो रही थी इसलिए संभव है कि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित सूचना वारिश की पानी से मिट गया हो। दिनांक 27.05.2011 को अपीलार्थी की पुत्री कंचन देवी को आँख एवं सिर में अचानक दर्द हो गया था जिस कारण अपीलार्थी दिनांक 27.05.2011 को सुबह 05.00 बजे अपनी पूत्री की ईलाज हेतु खगड़िया चले गये एवं खगड़िया बाजार में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ0 सतीश कुमार के यहाँ ईलाज करवा रहे थे। इस परिस्थिति में अपीलार्थी को दिनांक 27.05.2011 को दूकान बंद रखना पड़ा।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में आरोप सं0 03 एवं 04 के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी नियमित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित कीमत एवं वजन के अनुरूप सदैव उपभोक्ताओं के बीच किरासन तेल एवं खाद्यान्न का वितरण करते रहे हैं जिसका पर्याप्त साक्ष्य भंडारण पंजी एवं वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होगा।

उनका यह भी कहना है कि शिकायतकर्त्ता के मूल आवेदन में वैसे बहुतायत लोगों का नाम दर्ज किया गया है जो व्यक्ति अपीलार्थी के दूकान के उपभोक्ता के रूप में सम्बद्ध नहीं है तथा अपीलार्थी के वार्ड सं0 03,04,10 के उपभोक्ता नहीं है। शिकायतकर्त्ता निरक्षर हैं, लेकिन शिकायत आवेदन में उनका हस्ताक्षर है तथा महेन्द्र सदा लम्बे अवधि से पंजाब में रह रहे हैं लेकिन उनका फर्जी निशान देकर शिकायतकर्त्ता बना दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष काला देवी पति मुकेश सदा नामक महिला का ब्यान लिया गया है, जो न तो वार्ड नं0 03, 04 एवं 10 में निवास करती हैं और न ही अपीलार्थी से सम्बद्ध उपभोक्ता हैं। ध्यानो सदा पे0 पारो सदा को भी शिकायतकर्त्ता बनाया गया है तथा उनका ब्यान भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष लेना दिखाया गया है, जबकि उक्त नामक कोई आदमी वार्ड 3, 4 एवं 11 में नहीं है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों विवेचनाओं, दस्तावेजों तथा साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति 113 ए/2007 अनुज्ञा पदाधिकारी द्वारा गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

उनके द्वारा अपील आवेदन को ग्रहण कर विपक्षी को नोटिस करने, सुनवाई कर निम्न न्यायालय की अभिलेख मंगाकर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश

ज्ञापांक 345 दिनांक 04.06.2011 द्वारा जारी अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्दीकरण आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पूर्ववत जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन का परिशीलन किया। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 520 दिनांक 27.05.2011 के द्वारा सागर साह एवं अन्य ग्रामीण वार्ड नं0 10 अलौली के द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरवार में दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में श्री चन्द्रमणि कुमार, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, साकिन+थाना–अलौली, जिला–खगड़िया के दूकान का निरीक्षणोपरान्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच के समय प्रातः 09.00 बजे दूकान बन्द पाया गया। दूकान के बाहर सूचना पट्ट एवं भंडार स्थिति नहीं पाया गया। दूकान बन्द रहने के कारण दूकान से संबंधित कागजातों की जांच नहीं हो सकी। पुनः अलौली प्रखंड जाकर आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं तथा उपभोक्ताओं से पूछताछ की गयी। पूछताछ में उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि बी0पी0एल0, अन्त्योदय खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति बिक्रेता द्वारा नहीं की गयी है और न ही राशन कार्ड में खाद्यान्न अंकित है। कूपन भी उन उपभोक्ताओं के पास ही है तथा बिक्रेता द्वारा सम्बद्ध उपभोक्ता से व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है। उक्त के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जांच प्रतिवेदन में अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर ज्ञापांक 324 दिनांक 29.05.2011 द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा दिनांक 03.06.2011 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तत्पश्चात् बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी,खगड़िया के मंतव्य के आलोक में बिक्रेता का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया तथा उक्त के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2001 की धारा 7 (1) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा PUCL 196/2001 में पारित आदेश के आलोक में श्री चन्द्रमणि यादव, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अलौली के अनुज्ञप्ति सं0 113 ए/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दर्शाता गये बिन्दुओं पुत्री के ईलाज हेतु डाक्टर के यहाँ खगड़िया जाने के कारण दूकान बन्द रहने एवं वर्षा के कारण सूचना पट्ट पर भंडार की स्थिति मिट जाने, दूकान से सम्बद्ध कमजोर वर्ग के बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्डधारियों को खाद्यान्न किरासन तेल नियमित रूप से वितरण करने तथा सम्बद्ध कार्डधारियों से व्यवहार अच्छा रखने एवं दर्शाये गये अन्य बिन्दुओं यथा शिकायत मूल आवेदन में वैसे शिकायत लोगों का नाम जो उनके दूकान के उपभोक्ता नहीं है, शिकायतकर्त्ता निरक्षर है, लेकिन शिकायत आवेदन में उनका हस्ताक्षर है, जो पंजाब में रहे रहे है उनका फर्जी हस्ताक्षर लेकर शिकायतकर्त्ता बनाया गया है, के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कागजात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और बिक्रेता द्वारा अपने

स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि शिकायतकर्त्ता तथा कुछ अन्य उपभोक्ता के द्वारा खाद्यान्न उठाव नहीं किया गया।

जहाँ तक अपीलार्थी का यह कहना कि शिकायतकर्त्ता का आवेदन दिनांक 26.05.2011 की जांच दिनांक 27.05.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अलौली जाकर किस प्रकार एवं किस पदाधिकारी के आदेशानुसार किया गया तथा अपने पत्रांक 520, दिनांक 27.05.2011 से जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया, स्वीकार योग्य नहीं है। जन वितरण प्रणाली की दूकानों की जॉच हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी प्राधिकार हैं। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया द्वारा दिया गया जॉच प्रतिवेदन नियम विरूद्ध है, स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त समय दिया गया। परन्तु अपीलार्थी के अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें अपने अपील आवेदन के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी पारित आदेश नियमसंगत है। अतः अपील आवेदन खारीज योग्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिक्रेता पर लगाए गए सभी आरोप जांच में सत्य पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 345 दिनांक 04.06.2011 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया।

न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता, खगड़िया।

ज्ञा० सं० 311 / विधि दिनांक 13-9-2017

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश को एन०आई०सी० के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

13/9/2017

प्रभारी पदाधिकारी, विधि, खगड़िया
13/9/17